

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/157/2018

प्रवेश तिथि
08-10-2018

निर्णय दिनांक
25-07-2019

01- हरमुख सिंह पुत्र श्री रतनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम सौंखरी नंगला गुर्जर तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।

-अपीलान्ट

बनाम

01- तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार कठूमर
दिनांक 19.12.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 44/2017

उपस्थित:-

01-श्री अमरचन्द चौधरी

-वकील अपीलान्ट

-निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 19.12.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम सौंखरी की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 2674 रकबा 0.25 है0 में से 0.20 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।


विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम सौंखरी की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 2674 रकबा 0.25 है0 में से 0.20 है0 अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 30.11.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 19.12.2017 के विरुद्ध दिनांक 25.09.2018 को पेश किया। जो करीब 9 माह 15 दिन के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.09.2018 को कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 27.03.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को से दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी मुक्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)